

संचालनालय कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़

ब्लॉक-01, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर
E-Mail ID- dir.treasury.cg@gov.in, Website - ekoshonline.cg.gov.in, Phone No. 0771-2420015

File No.: e-Kosh/28113/GENS-11/997/2025/1547 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/07/2025
प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

- विषय :- GST TDS राशि के भुगतान हेतु देयक तैयार करने के संबंध में।
संदर्भ :- 01. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/टी.एम./मासिक लेखा/807 दिनांक 23-08-2024
02. कार्यालय आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/राकआ/08/कम्प्यूटर/58/2024/पार्ट फाईल- 1/12645 दिनांक 19.11.2024

वर्तमान में ई कोष के अंतर्गत ई-बिल में GST से संबंधित देयकों को तैयार करने पर GST-TDS की राशि को DDO के चालू खाते में अंतरण किया जाता है। इसके बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा चालू खाते से राशि का आहरण कर चालान के माध्यम से GST पोर्टल में जमा किया जाता है।

महालेखाकार एवं जीएसटी विभाग से सहमति प्राप्त कर ई-बिल में बिल तैयार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। नवीन प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संलग्न है। कृपया अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस नवीन प्रक्रिया अनुसार देयकों के निराकरण हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Ritesh Kumar Agrawal
Date: 11-07-2025
16:29:48
संचालक
कोष एवं लेखा

File No.: e-Kosh/28113/GENS-11/997/2025/1548 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/07/2025
प्रतिलिपि :-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़।
03. आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं जी.एस.टी. छत्तीसगढ़ सेक्टर-19, जी.एस.टी. भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर।
04. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, (ई-कोष प्रोजेक्ट) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य केन्द्र, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर।
05. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

Digitally signed by
Alpana Ghosh
Date: 11-07-2025
17:02:34
संचालक
कोष एवं लेखा

कोषालयों से बिल आहरित करने वाले डी.डी.ओ. के लिए टी.डी.एस. कटौती और जमा करने की प्रक्रिया

(1) व्यक्तिगत बिल के आधार पर टी.डी.एस. की कटौती और उसकी जमा करने की प्रक्रिया

उन डी.डी.ओ. द्वारा की जाएगी जो अपने बिल/दावे कोषालयों से आहरित करते हैं। डी.डी.ओ. को बिल से काटे गए टी.डी.एस. के संबंध में जी.एस.टी. पोर्टल पर सी.पी.आई.एन. (चालान) जनरेट करना होगा।

- डी.डी.ओ. वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बिल तैयार करेगा जिसमें वेंडर को देय कुल(ग्रॉस अमाउंट) और शुद्ध (नेट अमाउंट) तथा टी.डी.एस. की राशि शामिल होगी। बिल की शुद्ध राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और जी.एस.टी.-टी.डी.एस. राशि मुख्य शीर्ष-8658-00-139 में सस्पेंस हेड में स्थानांतरित की जाएगी।

- जी.एस.टी.-टी.डी.एस. राशि मुख्य शीर्ष-8658-00-139 में सस्पेंस हेड में स्थानांतरित की गयी राशि को माह में एक बार या किसी निश्चित अंतराल में आहरण कर GST का भुगतान किया जा सकेगा। इस हेतु DDO को ई-बिल में देयक (CGTC-76) में देयक तैयार करने के पूर्व सस्पेंस शीर्ष में जमा की गयी राशि का चालान GST पोर्टल में जनरेट कर CIN प्राप्त करेगा और इसका उपयोग देयक फॉर्म-76 में भुगतान किए जाने वाले खाते नंबर के स्थान पर करेगा। DDO को देयक तैयार करते समय सस्पेंस शीर्ष में जमा की गयी राशि का GSTN के साथ जमा राशि का विवरण auto fill के रूप में उपलब्ध होगा, इसमें सिर्फ देयक नंबर डालने के बाद हस्ताक्षर उपरांत कोषालय को अग्रेषित की जा सकेगी।

- यदि डी.डी.ओ. एक ही देयक से लाभार्थी का भुगतान और जीएसटी का भुगतान करना चाहता है तो जिस इन्वाइस के विरुद्ध भुगतान करना चाहता है उसमें दर्शित GST की राशि के बराबर राशि का सीपीआईएन प्राप्त करने हेतु जी.एस.टी.एन. पोर्टल में लॉगिन करेगा और सभी आवश्यक विवरणों को भरकर सी.पी.आई.एन. (चालान) जनरेट करेगा और डी.डी.ओ. ई-बिल मॉड्यूल में, वेंडर/सप्लायर को देय शुद्ध राशि(नेट अमाउंट) और जी.एस.टी. राशि निर्दिष्ट करते हुए बिल तैयार करेगा। शुद्ध राशि(नेट अमाउंट) का भुगतान करने के लिए डी.डी.ओ. वेंडर के लाभार्थी खाते का विवरण दर्ज करेगा। बिल से काटे गए टी.डी.एस. के लिए डी.डी.ओ. सी.पी.आई.एन. नंबर को लाभार्थी के खाते के रूप में दर्ज करेगा, आरबीआई को लाभार्थी के रूप में और आरबीआई के आई.एफ.एस.सी. कोड के साथ भुगतान प्राधिकरण (पेमेंट अथॉरिटी) को अनुरोध करेगा कि आरबीआई के पक्ष में भुगतान करे।

- IFMIS में डी.डी.ओ. पेज पर लाभार्थी सूची में GST-TDS का चयन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। ताकि जी.एस.टी.-टी.डी.एस. का चयन किया जा सके। जब GST-TDS का चयन किया जाएगा, तो TDS राशि के NEFT के लिए RBI का IFSC कोड स्वतः भर जाएगा। इसके बाद, डी.डी.ओ. जी.एस.टी. पोर्टल से जनरेट किए गए सी.पी.आई.एन. नंबर को बिल के संबंधित TDS के विवरण के लिए ई-बिल में लाभार्थी बैंक खाते के विवरण के स्थान पर दर्ज करेगा।

- सफल भुगतान के बाद, आरबीआई द्वारा एक सी.आई.एन. जनरेट किया जाएगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जी.एस.टी. पोर्टल के साथ शेयर किया जाएगा। यह संबंधित डी.डी.ओ. के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता (Electronic Cash Ledger) में क्रेडिट हो जाएगा।

- डी.डी.ओ. को सभी टी.डी.एस. कटौतियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखना चाहिए। यह डी.डी.ओ. को मासिक रिटर्न (GSTR-07) भरने के समय में मदद करेगा।

(बी) कार्य विभागों (पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई., आर.ई.एस., डब्ल्यू.आर.डी., वन विभाग) के लिए टीडीएस की कटौती और जमा करने की प्रक्रिया

डीडीओ द्वारा टी.डी.एस. कटौतियों का गुच्छकरण (BUNCHING) और जी.एस.टी. पोर्टल पर जमा

जिन विभागों में डीडीओ मासिक रूप से बड़ी संख्या में भुगतान करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत कार्यों के लिए सी.पी.आई.एन. जनरेट करने के लिए चालान जनरेट करना कठिन हो सकता है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित विकल्प अपनाया जाएगा

- डी.डी.ओ. वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बिल तैयार करेगा जिसमें वेंडर को देय कुल (ग्रॉस अमाउंट) और शुद्ध (नेट अमाउंट) तथा टी.डी.एस. राशि शामिल होगी।

- कार्य विभाग (PWD, WRD, PHE, RES) के डी.डी.ओ. अपने बिल ई-वर्क्स मॉड्यूल में तैयार करेंगे जिसमें लाभार्थी के सभी विवरण होंगे। बिल की शुद्ध राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और जी.एस.टी.-टी.डी.एस. राशि मुख्य शीर्ष-8658-00-139 में सस्पेंस हेड में स्थानांतरित की जाएगी।

- सस्पेंस हेड से, डी.डी.ओ. टीडीएस की राशि को साप्ताहिक, मासिक या किसी अन्य निर्धारित अंतराल पर एक बिल के माध्यम से निकाल सकेंगे।

- डी.डी.ओ. को सस्पेंस हेड के तहत बुक किए गए टी.डी.एस. का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, ताकि भुगतान के लिए सी.पी.आई.एन. CPIN तैयार करते समय कुल राशि आसानी से निकाली जा सके।

- सी.पी.आई.एन. (CPIN) जनरेट करते समय डी.डी.ओ. को एन.ई.एफ.टी. (NEFT) और आरबीआई को जमा करने वाले बैंक के रूप में चुनना होगा।

- डी.डी.ओ. बंच की गई टी.डी.एस. राशि का बिल ई-वर्क्स के माध्यम से तैयार करेगा, जिसमें पहले भुगतान किए गए उन बिलों का विवरण दिया जाएगा, जिनसे 2% टी.डी.एस. काटा गया था। डी.डी.ओ. इस संदर्भ में बनाए गए रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न कर सकते हैं।

- टीडीएस के भुगतान के लिए, DDO को CPIN नंबर को लाभार्थी खाता नंबर के रूप में, RBI को लाभार्थी के रूप में और RBI का IFSC कोड दर्ज करना होगा। CPIN GST पोर्टल से जनरेट किया जाएगा।

-सफल भुगतान के बाद, RBI द्वारा CIN जनरेट किया जाएगा और यह GST पोर्टल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा। यह संबंधित DDO के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता (Electronic Cash Ledger) में क्रेडिट हो जाएगा।

डी.डी.ओ. को सभी टी.डी.एस. कटौतियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखना चाहिए। यह डी.डी.ओ. को मासिक रिटर्न (GSTR-07) भरने के समय में मदद करेगा।